राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2205/2013/श्रीगंगानगर.

मैसर्स लूणकरण धनवन्तरी लाल, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 363/आरवैट/श्रीगंगानगर/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.09.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क रूपये 54,000/– का आरोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10 एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10ए क्रमशः दिनांक 11.8.2010; 04.12.2010; 15.2.2011; 12.5.2011 एवं 18.12.2011 को विभागीय साईट पर ओनलाईन प्रस्तुत कर दिये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध कर निर्धारण आदेश में विलम्ब सम्बन्धी अवधि एवं दिवस का उल्लेख

लगातार.....2

नहीं है परन्तु ऑर्डरशीट के अवलोकन पर पाया कि उसमें वैट–10ए वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होना मानकर शुल्क आरोपित किया है जो दिनांक 29.08.2012 को प्रस्तुत होना बताया है जो कि वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम दिनांक 30.04.2012 से 120 दिवस देरी से है। दिनांक 01.04.2012 को वैट नियम 19ए में संशोधन के पश्चात् विलम्ब के लिये विलम्ब शुल्क रूपये 100/– प्रतिदिन निर्धारित था अतः अपीलार्थी के प्रकरण में दिनांक 29.08.2012 को विवरण पत्र प्रस्तुत करने के दिवस नियम 19ए में निर्धारित शुल्क अनुसार गणना करने पर रूपये 12000/– ही शुल्क आरोपणीय था अतः रूपये 12000/– की सीमा तक शुल्क यथावत रखते हुए अवशेष शुल्क 42000/– अपास्त किया जाता है।

4. फतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

16/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य